भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर:केट
इंदौर -452 013

निविदा सं. आरआरकेट/प्रशा/जीए-I/2026 दिनांक 30/01/2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरकेट), डाक – केट, इन्दौर-452 013 द्वारा प्रतिष्ठित पेशेवर केटरर्स/ ठेकेदारों से 1. **"इण्डस-I पार्किंग शेड में स्थित टी पेन्ट्री को रात-दिन (24x7) चलाने" तथा 2. लेसर वर्कशॉप के पास स्थित चाय पेंट्री को कार्यालयीन समय के दौरान (सुबह 0900 बजे से शाम 0530 तक) चलाने हेतु,** दो वर्षो की अवधि के लिए ठेका आधार पर मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	:	20/02/2026 को 15:00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	:	20/02/2026 को 16:00 बजे वेतन और लेखा अधिकारी आरआरकेट के कार्यालय में
बयाना जमा राशि (EMD)	:	₹ 20000/- (₹ बीस हज़ार मात्र) (निविदा दस्तावेज़ के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, आरआरकेट के पक्ष में देय अनुसूचित बैंक द्वारा जारी खाता देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा एफ. डी. प्रस्तुत करना होगा)
सुरक्षा जमा	:	₹ 40000/- (₹ चालीस हज़ार मात्र) (आरआरकेट के वेतन एवं लेखाधिकारी के पक्ष में देय अनुसूचित बैंक द्वारा जारी खाता देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या एफ. डी., जो ठेका आवंटन से 10 दिनों की अवधि में प्रस्तुत किया जाए)
संपर्क सं.	:	0731-2488815, 0731-2488888

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

2. निविदा दस्तावेजो को अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों के साथ वेबसाइट www.rrcat.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को उपरोक्त कथित EMD के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, इसके बगैर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

3. बोलीकर्ता अपनी बोली/निविदा को सीलबंद कवर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, डाकघर:केट, इन्दौर-452 013, (म.प्र.) के पते पर बोली प्रस्तुत करने की दिनांक तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करें। लिफाफे के कवर पर "निविदा सं. **आरआरकेट/प्रशा/जीए-I/2026 दिनांक 30/01/2026, 1. "इण्डस-I पार्किंग शेड में स्थित टी पेन्ट्री को रात-दिन (24x7) चलाने" तथा 2. लेसर वर्कशॉप के पास स्थित चाय पेंट्री को कार्यालयीन समय के दौरान (सुबह 0900 बजे से शाम 0530 तक) चलाने हेतु, लिए निविदा लिखा हो।** निविदा/बोली प्रस्तुत करने की दिनांक को या उससे पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत करें।

(i) ठेकेदार के पास समान कार्य के लिए तीन साल का अनुभव प्रमाणपत्र होना चाहिए जो किसी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से जारी किया गया हो।

(ii) GST तथा PAN registration.

(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति।

(iv) वैध व्यवसाय लायसेंस (कार्यालय नगर पालिक निगम, इंदौर से जारी लायसेंस)

(v) वैध स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र

(vi) Valid registration certificate under Food Safety and Standards Authority of India ACT 2006.

(vii) ₹ 20000/- (₹ बीस हज़ार मात्र) बयाना जमा राशि (EMD) का डिमांड ड्राफ्ट

4. उपरोक्त निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। ई-मेल/FAX से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. निविदाएं दिनांक 20/02/2026, गुरुवार को 16:00 बजे वेतन एवं लेखा अधिकारी, डाकघर: केट, इन्दौर-452013 के कार्यालय में, खोली जाएंगी।

6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

30/1/2026

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

निबंधन एवं शर्तें

1. ठेका आवंटन के 10 दिनों की अवधि में ठेकेदार को टी पेन्ट्री चलाने के अनुबंध को क्रियान्वित करना होगा।
2. खाद्य पदार्थों को आरआरकेट द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ही बेचना होगा। वर्तमान की अनुमोदित दरें **अनुलग्नक क** में दी गई है ।
3. टी पेन्ट्री परिसर में समुचित स्वच्छता बनाए रखनी होगी। सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने की व्यवस्था ठेकेदार को खुद के खर्चे पर रखना होगा।
4. ठेकेदार को टी पेन्ट्री सुचारू रूप से चलाने एवं साफ़-सफ़ाई रखने हेतु पर्याप्त मात्रा में व्यक्तियों/श्रमिकों को लगाना होगा।
5. ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी श्रमिक चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ होने चाहिए एवं उन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए।
6. ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों को सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करना होगा। ठेकेदार सभी सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जैसे काम पर लगाए गए श्रमिकों को वेतन का भुगतान बैंक/चेक द्वारा नियमित एवं समय पर (प्रत्येक माह की 7 तारीख को) करना होगा।
7. ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह वेतन भुगतान का उचित रिकॉर्ड रखे, जिसे आवधिक रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। वेतन रजिस्टर या वेतन-कम-मस्टर रोल रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों के अंत में पदनामित अधिकारी अपने हस्ताक्षर के रिकॉर्ड से निम्नलिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र देगा कि:

   " यह प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम सं.______________ में दर्शायी गयी राशि संबंधित श्रमिक को उसके बैंक खाते _______________ द्वारा दिनांक__________ को भुगतान की गई है"
8. सभी श्रमिकों के पास आरआरकेट परिसर में प्रवेश हेतु पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के कार्यालय से जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
9. ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी कर्मचारी वर्दी में होगे एवं अपनी साफ़-सफ़ाई का पूरा ध्यान रखेगे, जैसे बाल उचित तरीके से कटे हो, नाखून समुचित रूप से कटे हुए हों। कर्मचारियों वर्दी, हाथों में ग्लव्ज, हेट/हेयरनेट एवं सुरक्षात्मक साज-सामान के साथ होगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई दुर्घटना न होने पाए। पूरी वर्दी/सुरक्षात्मक साज-सामान इत्यादि ठेकेदार को अपने खर्चे पर उपलब्ध कराने होगे ।
10. टी पेन्ट्री की केटरिंग व्यवस्था का हर तिमाही में मूल्यांकन किया जाएगा एवं कार्य निष्पादन ठीक नहीं पाये जाने पर आवंटित ठेके को बिना कोई कारण बताए, निरस्त कर दिया जाएगा।
11. टी पेन्ट्रीया पूर्णरूप से सरकारी सम्पत्ति है। इस आवंटन हेतुः-

    1. **"इण्डस-I पार्किंग शेड में स्थित टी पेन्ट्री को रात-दिन (24x7) चलाने"** के लिए **रु 3000/-** + (GST 18%) तथा **2. लेसर वर्कशॉप के पास स्थित चाय पेंट्री के लिए रु 1060 /-** + (GST 18%) का लाइसेंस शुल्क प्रतिमाह, ₹ 23 प्रति किलोलीटर जल की आपूर्ति हेतु **(जल प्रभार की गणना हेतु वाटर मीटर की स्थापना ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी)** , विद्युत प्रभार खर्च ₹ 7/- प्रतियूनिट के भुगतान पर, टी पेन्ट्री को चलाने एवं रखरखाव हेतु अनुमति प्रदान की गई है। ठेकेदार चाय नाश्ता बनाने में केवल और केवल एल.पी.जी. का ही प्रयोग करेगा ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

12. ठेकेदार अथवा श्रमिक/ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक किसी भी प्रचार हेतु आरआरकेट के नाम का उपयोग नहीं करेगा।

13. बोलीदाता को सुरक्षा जमा राशि के रूप में ₹ 40,000/- (₹ चालीस हज़ार मात्र) का भुगतान किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या एफ. डी. आर. द्वारा वेतन एवं लेखा अधिकारी, आरआरकेट के पक्ष में देय, इन्दौर में करना होगा।

14. इण्डस-। पार्किंग शेड में स्थित टी पेन्ट्री को रात-दिन (24x7) संचालित करनी होगी जबकि लेसर वर्कशॉप के पास स्थित चाय पेंट्री सभी कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय के दौरान **(सुबह 0900 बजे से शाम 0530 तक)** संचालित करना होगी ।

15. ठेकेदार सभी नियोजित सभी कर्मचारीयो का मेडिकल फिटनेस ठेका आवंटन के एक माह की समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।

16. सरकारी नियमानुसार बिल पर आयकर कटौती की जाएगी ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

1. <u>अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें:</u>

1.1 आरआरकेट टी पेन्ट्री में संचालन के दौरान ठेकेदार द्वारा या उनके कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही, त्रुटियों, भूल, जानबूझकर एवं अन्य किसी कारण से उत्पन्न जोखिम की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। ऐसी लापरवाही, भूलों, गलतियों से आरआरकेट को होने वाले नुकसान की भरपाई का दायित्व ठेकेदार का होगा।

1.2 ठेकेदार उपरोक्त टी पेन्ट्री को न तो नुकसान पहुँचाएगा, न ही किसी को नुकसान पहुँचाने देगा। यदि किसी कारणवश नुकसान हुआ तो ठेकेदार आरआरकेट की संतुष्टि के अनुसार सुधार करेगा । ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त टी पेन्ट्री को पूरी तरह स्वच्छ रखने हेतु पर्याप्त संख्या में साफ़-सफ़ाई हेतु कर्मचारी तैनात करे।

1.3 उपरोक्त टी पेन्ट्री को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा।

1.4 आरआरकेट के पास (a) टी पेन्ट्री में बेचे जाने वाले एवं खुले रखे गए खाद्य एवं पेय पदार्थ की बिक्री को रोकने एवं उन्हें नष्ट करने का अधिकार है। (b) ठेकेदार द्वारा टी पेन्ट्री में प्रदान की जा रही सेवाओं को भी रोका जा सकता है अगर वह अपेक्षित स्तर की नहीं हो।

1.5 आरआरकेट द्वारा निरीक्षण/विश्लेषण की मांग पर किसी भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ या खाना बनाने में इस्तेमाल हो रही सामग्री के सेम्पल नि:शुल्क उपलब्ध कराने होगे । यदि निरीक्षण या विश्लेषण में ठेकेदार द्वारा प्रदान की जा रही ऐसी मदों या सेवा आपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं है, तो ठेकेदार को ऐसी वस्तुए या सेवाओ में कमी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित__________का भुगतान करना होगा । इस विषय में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

1.6 ठेकेदार को पकाया हुआ चाय नाश्ता आरआरकेट परिसर से न तो बाहर ले जाने की अनुमति है न ही इन सुविधाओं का उपयोग आरआरकेट परिसर के बाहर आरआरकेट कर्मचरियों के अलावा किसी और के लिए किया जा सकता है।

1.7 ग्राहकों के साथ ठेकेदार एवं उनके को कर्मचारियों का व्यवहार विनम्र होना चाहिए। ठेकेदार को टी पेन्ट्री में उचित स्थान पर एक शिकायत पुस्तिका रखनी होगी। जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकें एवं उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से कभी भी देखा जा सके।

1.8 आरआरकेट द्वारा विधिवत् रूप से नामित प्रतिनिधि साफ़-सफ़ाई, स्वच्छता एवं खाना बनाने की सामग्री एवं स्वास्थ्यकर दशाओं का भी निरीक्षण करेंगे। उपरोक्त अधिकारी को टी पेन्ट्रीके रसोईघर एवं टी पेन्ट्रीके किसी भी भाग में कभी भी निरीक्षण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त टी पेन्ट्री समिति भी टी पेन्ट्रीमें हो रहे विभिन्न कार्यों की निगरानी रखेगी।

1.9 ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि को उक्त टी पेन्ट्री में निरीक्षण करने एवं इन कार्यों को निष्पादित करने हेतु आने की अनुमति देनी होगी। : (a) आधारभूत सुविधाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं टी पेन्ट्री परिसर में परिवर्तन या मरम्मत कार्य व (b) विद्युत जल प्रणाली, सेनेटरी संबंधी कार्यों एवं उपकरणों की समय-समय पर की जाने वाली मरम्मत कार्य । इन कार्यों हेतु समय एवं दिनांक का चुनाव दोनों पक्षों द्वारा आपसी सुविधा से तय किया जाएगा।

1.10 किसी भी कारण से सामग्री, भंडार या बिक्री हेतु रखी वस्तुओं के नुकसान, आदि में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

1.11 ठेकेदार उक्त टी पेन्ट्री में किसी भी प्रकार के प्रिंटेड या लिखी हुई सूचना या विज्ञापन जो भी हो, को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से बिना प्रदर्शित नहीं करेगा।

1.12 अगर ठेकेदार यहां उल्लेखित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है तो (a) आरआरकेट को यह स्वतंत्रता है कि वह तुरंत इस अनुबंध को निरस्त कर दे (b) सुरक्षा जमा राशि तत्संबंधी उनके कोई हिस्से को आरआरकेट द्वारा ज़ब्त कर लिया जाएगा।

1.13 ठेके के समाप्त होने या समयपूर्व निरस्त होने पर आरआरकेट द्वारा सुरक्षा जमा राशि या तत्संबंधी उनका कोई भाग जो ठेकेदार को बिना ब्याज के जब्त नहीं किया गया है, वापस लौटा दिया जाएगा।

1.14 ठेकेदार के कार्यनिष्पादन को देखते हुए आगे एक वर्ष या अधिक अवधि हेतु आपसी सहमती के आधार पर ठेके को बढाया जा सकता है।

1.15 आरआरकेट किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवा/सामग्री के विरुद्ध भुगतान योग्य बकाया राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

अनुलग्नक - क

क्रमांक	खाद्य एवं पेय पदार्थ	खाद्य पदार्थो को वजन	खाद्य एवं पेय पदार्थो के वर्तमान मूल्य (₹) में
1	समोसा	65 ग्राम	10/-
2	आलू बड़ा	65 ग्राम	10/-
3	कचोरी	65 ग्राम	10/-
4	पोहा	100 ग्राम	10/-
5	ब्रेड बड़ा	65 ग्राम	10/-
6	साबूदाना बड़ा	65 ग्राम	10/-
7	गुलाब जामुन	70 ग्राम	15/-
8	समोसा मीठा	70 ग्राम	15/-
9	बालूशाही	70 ग्राम	15/-
10	भजिया	70 ग्राम	15/-
11	चाय	60 मिली ग्राम	10/-
12	कॉफ़ी	80 मिली ग्राम	15/-
13	लेमन टी	80 मिली ग्राम	10/-
14	कोल्ड ड्रिंक्स , बिस्कुट इत्यादि पैक्ड खाद्य एवं पेय पदार्थो	प्रिंट रेट पर	
15	इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार कोई अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाते है तो उसकी पूर्व अनुमति प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा तथा ऐसी सामग्री के मूल्य भी प्रशासन ही निर्धारित करेगा।		
16	ठेके के दौरान दोपहर का खाना (lunch) बनाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।		

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

<u>स्टाम्प शुल्क ठेकेदार द्वारा</u>
<u>वहन किया जाएगा</u>
<u>अनुबंध</u>

यह अनुबंध ________________ दिन __________ वर्ष__________, भारत के राष्ट्रपति (बाद में सरकार कहा जाएगा) एक भाग के रूप में एवं केटरिंग ठेकेदार श्री/श्रीमती ________________निवासी________________(बाद में केटरर कहा जाएगा) जिसकी अभिव्यक्ति जहां संदर्भित है, वहां स्वीकृति है, जिनमें उनके कानूनी प्रतिनिधि भी शामिल है एवं अन्य भाग के स्वीकृत प्रतिनिधि जिसके द्वारा यह सहमति इस प्रकार है:-

चूंकि, आरआरकेट, इन्दौर में ठेके के आधार पर टी पेन्ट्री चलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा टी पेन्ट्री की जगह उपलब्ध कराई है (जिसे बाद में टी पेन्ट्री कहा जाएगा)

एवं चूंकि सरकार द्वारा केटरर को दी गई नियम एवं शर्तों के अनुसार टी पेन्ट्री चलाने एवं उसके रखरखाव हेतु लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान की है ।

1. यह अनुबंध प्रारंभिक रूप से दिनांक____________ से दो वर्ष तक लागू रहेगा। सरकार को यह अधिकार है कि वह इस अनुबंध को किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना पर बिना कोई कारण बताए है, निरस्त कर सकती है।

2. (a) टी पेन्ट्रीया पूर्णरूप से सरकारी सम्पत्ति है। इस आवंटन हेतु:-
1. **"इण्डस-। पार्किंग शेड में स्थित टी पेन्ट्री को रात-दिन (24x7) चलाने" के लिए रु 3000/-** + (GST 18%) **तथा 2. लेसर वर्कशॉप के पास स्थित चाय पेंट्री के लिए रु 1060 /-** + (GST 18%) का लाइसेंस शुल्क प्रतिमाह, ₹ 23 प्रति किलोलीटर जल की आपूर्ति हेतु **(जल प्रभार की गणना हेतु वाटर मीटर की स्थापना ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी)** , विद्युत प्रभार खर्च ₹ 7/- प्रतियूनिट के भुगतान पर, टी पेन्ट्री को चलाने एवं रखरखाव हेतु अनुमति प्रदान की गई है। ठेकेदार चाय नाश्ता बनाने में केवल और केवल एल.पी.जी. का ही प्रयोग करेगा ।

2. (b) केटरर कथित टी पेन्ट्री को किसी को भी पूरी तरह या उसके किसी भी भाग को किराए पर या उपयोग करने के लिय नहीं देगा, न ही संरचना में कोई निर्माण/बदलाव ही करेगा ।

2. (c) इसका उपयोग आवासीय उद्देश्य हेतु नहीं किया जाएगा ।

2. (d) टी पेन्ट्री को साफ़-सुथरा, अच्छी स्वास्थ्यकर स्थिति में बनाए रखेगा। केटरर टी पेन्ट्री को कोई हानि नहीं पहुँचायेगा एवं कोई भी हानि पहुँचाने वाली कार्यवाही नहीं करेगा। ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह टी पेन्ट्री को सुचारू रूप से चलाने एवं साफ़-सफ़ाई एवं स्वास्थ्यकर दशाओं को बनाए रखने हेतु संबंधित क्षेत्र में योग्यता प्राप्त पर्याप्त व्यक्तियों को काम पर रखे।

3. सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तए/मदें सरकार की संपत्ति है । ठेकेदार को इन वस्तुओ/मदों का बड़ी सावधानी एवं सतर्कता से उपयोग करना चाहिए। उपरोक्त उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेवारी सरकार की होगी। अगर उपरोक्त उपकरणों की किसी मद का लापरवाही, केटरर की असावधानी या उनके किसी कर्मचारी द्वारा ध्यान न दिए जाने पर टूट-फूट होती है तो इसके लिए केटरर को सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार उसकी मरम्मत/ बदलवाना होगा । अगर उपकरण बदले जाते हैं तो वह वे गुणवत्ता के नए, उसी प्रकार के, उसी कम्पनी एवं विशेषता वाले हों।

4. ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर ठेके के तहत् सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होगा एवं ऐसे कर्मचारी अनुभवी होने चाहिए एवं उन्हें पूरे समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर उपलब्ध कराई गई उचित एवं साफ़-सुथरी वर्दी में रहना होगा।

5. केटरर टी पेन्ट्री में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियोजित करेगा जो स्वस्थ हो एवं यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा काम पर लगाए जाने से पूर्व उनका पुलिस प्राधिकारियों द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है।

6. ठेकेदार को कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा, जो कि टी पेन्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू होते हैं; जैसे काम के घंटे, छुट्टी, समयोपरि भत्ता, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति के लाभ इत्यादि। ऐसे कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सरकार आपको ऐसे भुगतान के बारे में या किसी कर्मचारी को में तलब कर सकती है। ऐसे सभी भुगतान का पुर्नभरण ठेकेदार द्वारा सरकार को किया जाएगा एवं सरकार द्वारा सुरक्षा निधि की राशि या ठेकेदार को सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भुगतान से कटौती करने को स्वतंत्र है।

7. केटरर को इण्डस-I पार्किंग शेड में स्थित टी पेन्ट्री सभी दिन जिसमें शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश भी शामिल है, 24 घंटे खुली रखनी होगी। इंडस I और II की सुविधानुसार संचालन समय में बदलाव किया जा सकता है, जो केटरर को बाध्य होगा । लेसर वर्कशॉप के पास स्थित चाय पेंट्री को कार्यालयीन समय के दौरान **(सुबह 0900 बजे से शाम 0530 तक)** चलाना होगा ।

8. केटरर द्वारा टी पेन्ट्री में खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों के विक्रय हेतु ली जाने वाली राशि मूल्य सारणी में दी गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं मूल्य सूची को टी पेन्ट्री में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करना होगा ।

9. टी पेन्ट्री में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ ताज़ा एवं संबंधित ब्रांड/प्रकार के होने चाहिए एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्रोत से ही प्राप्त होने चाहिए ।

10. (i) सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार है कि:

(a) टी पेन्ट्री में कोई खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थों को बेचने से रोकने अथवा नष्ट करने व

(b) यदि ठेकेदार द्वारा टी पेन्ट्री में प्रदान की जा रही सेवाएं अपेक्षित स्तर की नहीं है तो उन सेवाओं को बंद करने के।

11. केटरर को राशनिंग प्राधिकारी, म्यूनिसिपल प्राधिकारियों व सेल्स टेक्स प्राधिकारियों के नियमों/विनियमों के साथ-साथ खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विक्रय के लिए श्रमिकों/नियुक्त किए गए कर्मचारियों से संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लागू कानूनों/अधिनियमों का भी पालन करना होगा। विशेष रूप से ठेकेदार को समय-समय पर उपरोक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड, आगंतुक पुस्तिका इत्यादि का हिसाब-किताब रखना होगा।

12. (ii) ठेकेदार को LPG (वाणिज्यिक) का प्रयोग ईंधन के रूप में खाना पकाने में करना होगा । किंतु अगर ठेकेदर ने चाय नाश्ता बानाने के लिये बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते पकडा जाता है तो ठेका तत्काल प्राभाव से निरस्त कर दिया जायेगा ।

13. ठेकेदार को खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में LPG (वाणिज्यिक) का ही उपयोग करना है।

14. ग्राहकों के साथ ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों का व्यवहार विनम्र होना चाहिए। ठेकेदार को टी पेन्ट्री में उचित स्थान पर एक शिकायत पुस्तिका रखनी होगी। जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकें एवं उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से कभी भी देखा जा सके।

15. केटरिंग सेवाओं के प्रभारी अधिकारी व टी पेन्ट्री के सुपरवाइज़र प्रभारी (बाद में उपरोक्त अधिकारी कहा जाएगा) को साफ़-सफ़ाई के रखरखाव की निगरानी एवं खाद्य पदार्थों के बनाने की सामग्री एवं स्वस्थ दशाओं में उनके बनने की प्रक्रिया की निगरानी के उद्देश्य से सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। कथित अधिकारी को टी पेन्ट्री के कीचन के अथवा किसी भी भाग में कभी भी निरीक्षण करने का अधिकार है।

16. ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि को उक्त टी पेन्ट्री में निरीक्षण करने एवं इन कार्यों को निष्पादित करने हेतु प्रवेश अनुमति देनी होगी:-

(a) आधारभूत सुविधाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं टी पेन्ट्री परिसर में परिवर्तन या मरम्मत कार्य।

(b) विद्युत जल प्रणाली, सेनेटरी संबंधी कार्यों एवं उपकरणों की समय-समय पर होने वाली मरम्मत। इन कार्यों हेतु समय एवं दिनांक का चुनाव दोनों पक्षों द्वारा आपसी सुविधा से तय किया जाएगा।

17. किसी भी कारण से सामग्री, भंडार या वस्तुओं जिन्हें बेचा जाना था या नहीं या उन्हें उक्त टी पेन्ट्री में ठेकेदार द्वारा रखा गया था की, हानि या टूट-फूट होने पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18. केटरर उक्त टी पेन्ट्री में किसी भी प्रकार के प्रिंटेड या लिखी हुई सूचना या विज्ञापन जो भी हो, को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रदर्शित नहीं करेगा।

19. केटरर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन करना होगा।

20. केटरर को सुरक्षा अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए सुरक्षा निधि के रूप में ₹ 40000/- (₹ चालीस हज़ार मात्र) जमा कराने होंगे। इस जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है।

21. अगर ठेकेदार अपनी तरफ से यहां दी गई किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है या उसकी गलती पायी जाती है, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के सरकार के पास अन्य अधिकार एवं समाधान के रास्ते खुले हैं।

(a) आरआरकेट को यह स्वतंत्रता है कि वह तुरंत इस अनुबंध को निरस्त कर दे एवं

(b) सुरक्षा जमा राशि अथवा तत्संबंधी उनके कोई हिस्से को सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिया जाएगा।

ठेके के समाप्त होने या समयपूर्व निरस्त होने पर आरआरकेट द्वारा सुरक्षा जमा राशि या तत्संबंधी उनका कोई भाग जो ठेकेदार को बिना ब्याज के जब्त नहीं किया गया है, को वापस लौटा दिया जाएगा।

22. ठेकेदार के कार्यनिष्पादन को देखते हुए आपसी सहमती के आधार पर ठेके को एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

23. इस अनुबंध प्रभावित व संबंधित किसी भी तरह से उत्पन्न सभी विवाद एवं मतभेद (केवल उन फैसलों को छोड़कर जो विशेष रूप से प्रदान किए गए हैं) के निराकरण के लिए निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर- 452013 द्वारा नामांकित व्यक्ति ही एकमात्र मध्यस्थ होगा । ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि नियुक्त किया गया व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है एवं वह इस अनुबंध से संबंधित प्रकरणों पर विचार करेगा व अपने कर्तव्यों के पालन में जैसे- सरकारी कर्मचारी अपने विचार सभी मामलों पर या विवाद या मतभेद के किसी मामले पर देगा। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा एवं इस अनुबंध के साथ पक्षकार के लिए मानना बाध्यकारी होगा। इस अनुबंध की शर्त है कि ऐसे मध्यस्थ के विषय जिनके लिए यह प्रकरण वास्तविक रूप से सौंपा गया है। अगर स्थानांतरित या अपना पद त्याग देते हैं या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ है, तो ठेकेदार निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर-452 013 इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। व्यक्ति उनके पूर्ववर्ती द्वारा जहां इस प्रकरण की प्रक्रिया छोड़ी गई थी, वहां के संदर्भ से आगे की कार्यवाही शुरू करने का अधिकारी होगा। इस अनुबंध में यह भी शर्त है कि निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर द्वारा नामित व्यक्ति के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मध्यस्थ की तरह कार्य नहीं करेगा व किसी कारणवश यह संभव नहीं हुआ तो यह प्रकरण किसी भी तरह मध्यस्थ को नहीं सौंपा जाएगा। उल्लेखित विषय पर मध्यस्थ अधिनियम 1940 के प्रावधानों या अन्य सांविधिक

संशोधनों या उसके पुर्न अधिनियम व इसके तहत् समय-समय पर बनाए नियम इस मध्यस्थता पर लागू होंगे।

24. करार समाप्त होने या नियत अवधि के पूर्व ही निरस्त होने पर टी पेन्ट्री को केटरर द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से खाली करके जो भी सामग्री, मदें जो उन्हें समय-समय पर जारी की गई है, उसके साथ अच्छी हालत में सरकार को सौंपना होगा।

25. उपरोक्त वर्णित दिन__________ महीना_______ वर्ष __________को भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से श्री ______________________ प्रशासनिक अधिकारी-III, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर- 452 013 एवं केटरर उपरोक्त के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

उपरोक्त संदर्भित विवरण

---------- पेज पर जारी

उनके द्वारा हस्ताक्षरित, मुहर एवं वितरित एवं नामे

केटरर श्री ______________________________, ____________________

गवाह की उपस्थिति में (हस्ताक्षर)

गवाह की उपस्थिति में

ठेकेदार का फोटो

1. हस्ताक्षर : ________________________

नाम : ___________________________

पता ___________________________

____

____

2; हस्ताक्षर ___________________________

नाम :___________________________

पता :___________________________

____

____

<u>ठेकेदार का पूरा पता</u>

स्थानीय पता **स्थायी पता**

_______________ _______________

_______________ _______________

फोन सं.__________ फोन सं.__________

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षरित, मुहर एवं वितरित

श्री________________________

प्रशासनिक अधिकारी - III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी

की उपस्थिति में

____

(हस्ताक्षर)

गवाह :-

1) हस्ताक्षर :- ____________________

नाम :-____________________

पता :-____________________

____

____

2) हस्ताक्षर :- ____________________

नाम :-____________________

पता :-____________________

____